सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 68 राँची, मंगलवार, 5 फाल्गुन, 1947 (श०) / 24 फ़रवरी, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2025

संख्या-11/स्था०राज०-08/2025-7196--संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को झारखण्ड कारा सेवा में मूल कोटि के वेतनमान् (रू० 9300-34,800 /- ग्रेड पे-5400 रू०, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल-9) में इन्ट्री वेतन पर एवं सरकार यद्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान काराधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
01.	23172870	RADHA NAND JHA	01.03.1995	S/O SACHIDANAND SHARMA, HOUSE 71 WARD-2VILLAGE NAUGARH PO-NEWARI, PS-MAKHDUMPUR, DISTRICT-JEHANABAD, BIHAR, PIN-804425
02.	23296773	RAJESH RAJAK	18.09.1997	S/O RAJU RAJAK, AT-KENDUA, PO-CHUGLAMO P.S-BARKATHA, DIST-HAZARIBAG STATE-JHARKHAND, PIN-825323

(क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/ मेधा क्रमांक नहीं है।

(ग) सभी नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-29.11.2025 के पूर्वाह्न में झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5797, दिनांक-03.10.2025 के क्रम में यदि कोई नवनियुक्त अभ्यर्थी अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन माह के अन्दर झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग में योगदान नहीं करेंगे, तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5524, दिनांक-18.09.2025 एवं पत्रांक-6800, दिनांक-21.11.2025 के क्रम में झारखण्ड असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 द्वारा चयनित सभी पदाधिकारियों को दिनांक-16.12.2025 से 06 (छः) सप्ताह का संयुक्त आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण श्री कृष्ण लोक प्रशासन सस्थान, राँची के तत्वाधान में दिया जायेगा।

(च) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।

(च) वैसे अभ्यर्थी, जिनके प्रमाण पत्रों में आंशिक विसंगतियाँ है, की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियों का संतोषजनक निराकरण एक माह में नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(छ) योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-1919, दिनांक-28.01.76 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र एवं अधिसूचना संख्या-5437, दिनांक-09.09.2010 एवं 9519, दिनांक-22.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(ज) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(झ) योगदान देते समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ञ) नियुक्ति विभाग, राज्य सरकार के पत्रांक-5817, दिनांक-03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संतोष कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 68 - 50